राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्ता
1.	1659/2012	अभय सिंह	निदेशक, निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर, राज.।	श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर
2.	1660/2012	रामप्रकाश		
3.	1661/2012	भूपेश कुमार शर्मा		
4.	1711/2012	जगदेव कुमार शर्मा		
5.	1712/2012	रणजीत कुमार		
6.	288/2012	बालकृष्ण शर्मा		
7.	87/2013	हरि सिंह शेखावत		
8.	88/2013	विश्वेश्वर लाल सैनी		
9.	89/2013	ओमप्रकाश शर्मा		
10.	90/2013	सुभाष चन्द्र		

आदेश की दिनांक : 27.09.2023

उपस्थित :–

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान तथ्य एवं समान अनुतोष की मांग की गई है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1659/2012 अभय सिंह बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. अपीलार्थी की नियुक्ति अस्थाई तौर पर आदेश दिनांक 13.10.1993 के द्वारा रायबहादुर सूर्यमल शिवप्रसाद वेद–वेदांग आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, चिड़ावा झुंझुनू में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई थी। इसके पश्चात राजस्थान सरकार निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राज. द्वारा आदेश दिनांक 11.03.2014 को अपीलार्थी का चयन अनुमोदित किया। आदेश दिनांक 06.12.201995 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 15.10.1995 से स्थाई किया गया। राजस्थान सरकार संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आदेश दिनांक 24.06.2000 के द्वारा अपीलार्थी व अन्य अध्यापकों को राजकीय सेवा में समावेश किया। राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, चिड़ावा के कार्यालय आदेश दिनांक 20.10.2010 के द्वारा अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.07.2009 से दिये जाने के आदेश दिये गये, जिस आदेश में अपीलार्थी की नियुक्ति की तिथि 01.07.2000

मानी गई, जो राजकीय विद्यालय में समावेश किये जाने की दिनांक से मानी गई। अपीलार्थी का कथन है कि पूर्व में वह अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में कार्यरत था एवं उक्त महाविद्यालय का अधिग्रहण राजस्थान सरकार द्वारा किया गया और अपीलार्थी को भी राजकीय सेवा में समावेश किया गया। राजकीय सेवा में समावेश से पूर्व अपीलार्थी अनुदानित पद पर कार्यरत था। ऐसे में अपीलार्थी की महाविद्यालय में नियमित नियुक्ति तिथि के आधार पर दी गई सेवा की गणना की जाकर वह चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि दिनांक 01.07.2000 के स्थान पर प्रथम नियुक्ति की दिनांक 15.10.1993 से सेवा की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाये।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी ने दिनांक 15–10–93 से दिनांक 30–10–2000 तक राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था रायबहादुर सेठ सूर्यमल शिवप्रसाद प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, चिड़ावा झुन्झुनूं में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–।। (गणित) के पद पर कार्य किया। उक्त संस्था को विभागीय आदेशांक निसशि/संस्था–।।।/चिड़ावा/स्क्रिनिंग/11445–54 दिनांक 24–6–2000 द्वारा राज्यादेशांक प.17/(49)/शिक्षा–5/89 जयपुर दिनांक 6–10–99 द्वारा राज्याधीन कर कार्यरत स्टाफ को निर्धारित शर्तो के अध्यधीन ''राजस्थान सिविल सेवा निजी संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं को राज्याधीन करने पर नियुक्ति एवं अन्य सेवा भर्ती सम्बन्धी नियम 1977 को राजस्थान अधीनस्थ संस्कृत शिक्षा नियम–1978 के साथ पढ़ते हुए उक्त विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–।।, उनके धारित पद के लिये उपयुक्तता की समीक्षा कराये जाने के पश्चात् कार्य प्रारंभ दिनांक से राज्य सेवा में समावेश किया जाता है।'' का उल्लेख कर अंकित पद व वेतनमान (1400–2600) में शर्तो के साथ किया गया । अपीलार्थी द्वितीय श्रेणी शिक्षक (गणित) पद पर राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, बस्सी नागा जिला जयपुर में दिनांक 1–7–2000 को कार्यग्रहण कर लिया। राज्य सरकार वित्त विभाग की राय अनुसार ''चयनित वेतनमान पदोन्नति की ऐवज में देय है, पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होती है चूंकि अधिकरण से पूर्व की गयी सेवा को वरिष्ठता के लिये नहीं माना गया है। अतः इन कर्मचारियों को चयनित वेतनमान देने के लिये सेवा की गणना नियुक्ति तिथि से की जावेगी।'' राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के अन्तर्गत अनुदानित संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों

को उनकी स्वेच्छा से राजस्थान ग्रामीण संस्थाओं में कार्य करने की सहमति के आधार पर इन ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित संस्थाओं पदस्थापित किया गया है। इन्हें केवल चयनित वेतनमान का लाभ ही नियमानुसार देय है जबकि राज्याधीन संस्थाओं से जिन कर्मचारियों को राजकीय संस्थाओं में स्क्रिनिंग के आधार पर नियुक्त किया गया है, उन्हें नियमानुसार वरिष्ठता/पैंशन पदोन्नति एवं स्थानान्तरण एवं समर्पित अवकाश वेतन इत्यादि राज्य कर्मचारियों को देय सुविधा अनुसार भत्ते देय किये गये हैं। केवल राज्याधीन से पूर्व की सेवाओं को राज्याधीन पश्चात् पदस्थापन की सेवाओं में सम्मलित कर चयनित वेतनमान देने का प्रावधान/नियम नहीं है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। पूर्व में अपीलार्थी अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत था एवं अपीलार्थी की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित भी कर दी गई थी। अपीलार्थी को वेतन पूर्व में सरकार के अनुदान से प्राप्त हो रहा था। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण S.R. Higher Secondary School & Anr. Versus Raj. Non-Government Educational Institutional Tribunal, Jaipur & 23 other WLC(Raj.) Page 586 में यह मत व्यक्त किया है कि ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं जिन्हें सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो रहा है, उनके शिक्षक वो सभी लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है, जो सरकारी शिक्षण संस्था के शिक्षकों को प्राप्त हो रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14813/2009 श्रीमती वीना पाण्डेय बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.11.2017 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है:–

> "Accordingly, this writ petition is allowed. The period of service rendered by the petitioner in the institution shall be counted for the purpose of selection grade as has been granted to the other teachers of the school by the State Government. The said exercise shall be conducted within a period of three months hence forth and the pension and retiral benefits shall also be revised accordingly and released to the petitioner. Any amount withheld on account of the aforesaid reasons by the Department shall now be released."

5. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अनुदानित संस्था में अपीलार्थी सरकारी संस्था के शिक्षकों के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे एवं अनुदानित संस्थाओं में दी गई सेवाएं समावेश के पश्चात शिक्षक अपनी पूर्व की सेवाएं

राजकीय सेवा में जुड़वाने का अधिकारी है। ऐसे में यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील स्वीकार की जाती है। आलौच्य आदेश दिनांक 20.12.2010 अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सरकार में समावेश पश्चात मानी गई थी, उसे अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की पूर्व में अनुदानित संस्था में हुई नियुक्ति को आधार माना जाकर अपीलार्थीगण को चयनित वेतनमान का लाभ दिया जायें।
7. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 1659/2012 में तथा शेष अन्य अपीलों में इस आदेश की छायाप्रति संलग्न की जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)